UPBJ120036112023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाँदपुर, बिजनौर।

उजमा बनाम निजामू आदि
परिवाद सं०–2500/2023
थाना– चाँदपुर
जिला–बिजनौर।

दिनांक–30–06–2026

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० नियत है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि परिवादिनी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहा है तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उसने धारा–200 दं०प्र०सं० अंकित नहीं कराया है। न ही उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी के उपरोक्त आचरण से स्पष्ट है कि परिवादिनी को इस परिवाद के प्रचालन में कोई रूचि शेष नहीं है तथा विपक्षीगण के विरूद्ध अपना मामला चलाने हेतु उसके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त आधार पर इस न्यायालय के मत से यह परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अरुण कुमार राणा)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
चाँदपुर, बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.06.30 16:14:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court